

राजस्थान सरकार
वन विभाग

२५६

क्रमांक प. 8(16)वन/2005/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 26 JUN 2012

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान जयपुर।

विषय :- लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी परिवर्तन बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्रांक एफ. 3(1)/2005/सू.अ./प्रमुवसं/7971 दिनांक 27.04.12

महोदय,

उपरोक्त विषय मे संदर्भित पत्र के क्रम में कार्यालय प्रमुवसं (HoFF), प्रमुवसं, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्तु प्रमुवसं एवं मुवजीप्र / प्रमुवसं (TREE) के लोकसूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी नियुक्त किये जाने के आपके निम्नांकित प्रस्ताव अनुमोदित किये जाते हैं :-


क्र. सं.	वर्तमान लोक सूचना अधिकारी	वर्तमान अपीलीय अधिकारी	नवीन लोक सूचना अधिकारी	नवीन अपीलीय अधिकारी
1.	संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर	प्रमुख शासन सचिव वन विभाग	संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर	प्रमुवसं (HoFF) राजस्थान जयपुर
2.	संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर	प्रमुख शासन सचिव वन विभाग	संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर	प्रमुवसं (HoFF) राजस्थान जयपुर
3.	संभागीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर	प्रमुख शासन सचिव वन विभाग	संभागीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर	प्रमुवसं (HoFF) राजस्थान जयपुर
4.	संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा	प्रमुख शासन सचिव वन विभाग	संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा	प्रमुवसं (HoFF) राजस्थान जयपुर
5.	संभागीय मुख्य वन संरक्षक अजमेर	प्रावैधिक सहायक मुख्य वन संरक्षक अजमेर	संभागीय मुख्य वन संरक्षक अजमेर	प्रमुवसं (HoFF) राजस्थान जयपुर
6.	संभागीय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर	प्रावैधिक सहायक मुख्य वन संरक्षक भरतपुर	संभागीय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर	प्रमुवसं (HoFF) राजस्थान जयपुर
7.	संभागीय मुख्य वन संरक्षक जयपुर	प्रमुख शासन सचिव वन विभाग	संभागीय मुख्य वन संरक्षक जयपुर	प्रमुवसं (HoFF) राजस्थान जयपुर
8.	मुख्य वन संरक्षक बनास जयपुर	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-संरक्षण जयपुर	मुख्य वन संरक्षक बनास जयपुर	प्रमुवसं कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्तु राजस्थान जयपुर
9.	निदेशक एवं मुख्य वन संरक्षक परियोजना कोटा	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-संरक्षण जयपुर	निदेशक एवं मुख्य वन संरक्षक परियोजना कोटा	प्रमुवसं कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्तु राजस्थान जयपुर
10.	मुख्य वन संरक्षक तेन्दु पत्ता जयपुर	प्रमुवसं कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्तु राजस्थान जयपुर	मुख्य वन संरक्षक तेन्दु पत्ता जयपुर	प्रमुवसं कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्तु राजस्थान जयपुर
11.	मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर	नया कार्यालय सृजित होने से अपील अधिकारी नियुक्त नहीं था।	मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर	प्रमुवसं कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्तु राजस्थान जयपुर

क्र. सं.	वर्तमान लोक सूचना अधिकारी	वर्तमान अपीलीय अधिकारी	नवीन लोक सूचना अधिकारी	नवीन अपीलीय अधिकारी
12.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर	प्रमुखस एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर	प्रमुखस एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर
13.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव कोटा	नया कार्यालय सुजित होने से अपील अधिकारी नियुक्त नहीं था।	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव कोटा	प्रमुखस एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर
14.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर	प्रावैधिक सहायक मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर	प्रमुखस एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर
15.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर	नया कार्यालय सुजित होने से अपील अधिकारी नियुक्त नहीं था।	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर	प्रमुखस एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर
16.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर	नया कार्यालय सुजित होने से अपील अधिकारी नियुक्त नहीं था।	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर	प्रमुखस एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर
17.	वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भोर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर	प्रमुख शासन सचिव वन विभाग	वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भोर बाघ परियोजना सरिस्का मुख्यालय अलवर	प्रमुखस एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर
18.	वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भोर बाघ परियोजना सरिस्का मुख्यालय अलवर	प्रमुख शासन सचिव वन विभाग	वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भोर बाघ परियोजना सरिस्का मुख्यालय अलवर	प्रमुखस एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर
19.	परियोजना निदेशक राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता द्वितीय जयपुर	पूर्व में अपील अधिकारी नियुक्त नहीं था।	परियोजना निदेशक राजस्थान वानिकी, एवं जैव विविधता द्वितीय जयपुर	प्रमुखस टी.आर.इ.इ. राजस्थान जयपुर
20.	मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जयपुर	प्रमुखस टी.आर.इ.इ. राजस्थान जयपुर	मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जयपुर	प्रमुखस टी.आर.इ.इ. राजस्थान जयपुर
21.	मुख्य वन संरक्षक सिल्वीकलचर जयपुर	मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान प्रशिक्षण जयपुर	मुख्य वन संरक्षक सिल्वीकलचर जयपुर	प्रमुखस टी.आर.इ.इ. राजस्थान जयपुर

इसी परिचेक्ष्य में लेख है कि उक्त कार्यालयों के अधीन यदि अधीनस्थ कार्यालयों में उपरोक्त के अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी/ अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता हो तो अपने स्तर पर नियुक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।

यहाँ उल्लेखनीय हैं कि संदर्भित पत्र के क्र.सं. 1 से 4 पर अंकित प्रस्तावित सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव प्रशासनिक अनुमोदन पश्चात् आदेश प्रसारित कराने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित विज्ञे जा रहे हैं।

भवदीया


(सीमा सिंह)
शासन उप सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
क्रमांक एफ 3 (1) 2005 / सू.अ./प्रमुखसं/ 12731 - 12831

दिनांक 11-7-12

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि गृह विभाग के आदेश पत्र क्रमांक एफ 3 (25) गृह-6/2006 दिनांक 03.05.2007 को अधितत्व करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी पत्रांक एफ 8 (16) वन/2005 पार्ट दिनांक 26.06.2012 द्वारा नवीन लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। अतः अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत समस्त कार्यालयी हिस्से आदेश के द्वारा घोषित लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों द्वारा संपादित की जायेगी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 3 (1) 2005 / कार्मिक/ प्रमुखसं/ 238-340 दिनांक 07.01.2011 द्वारा घोषित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी यथावत रहेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लिए उपरोक्त आदेशानुसार विभाग के समस्त कार्यालयों हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त एवं घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन किसी भी सन्देह की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ एवं नियन्त्रण अधिकारी उसका अपीलीय अधिकारी होगा।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.)
राजस्थान जयपुर